भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1916

10 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को आबद्ध खानों का आवंटन किया जाना

1916. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की खानों के आवंटन से संबंधित नीति में बदलाव के कारण, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को आबद्ध खानें आवंटित नहीं की गईं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान कोयले की खानों के आवंटन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या विगत पाँच वर्षों में नीलामी अथवा अन्य प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना मंत्रालय द्वारा किसी इस्पात कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से आबद्ध खानें आवंटित की गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान आरआईएनएल को हुए नुकसान का मुख्य कारण आबद्ध खानों की अनुपलब्धता है; और

(च) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय कम से कम अब आरआईएनएल को आबद्ध खानें आवंटित करेगा?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): कोयला मंत्रालय ने मार्च 2020 में कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन आरआईएनएल को झारखंड स्थित रबोडीह ओसीपी कोयला खान का "सैद्धांतिक रूप से" आवंटन किया है।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है।

(ग) और (घ): विगत पाँच वर्षों के दौरान सेल को निम्नलिखित कोयला और लौह अयस्क खानों का आवंटन किया गया है:-

कोयला खान:-

खान का नाम	इस्पात कंपनी	आरक्षण/आवंटन की तारीख
पर्बतपुर	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	06.10.2015
सीतानाला	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	24.03.2015

तथापि, चूंकि आवंटिती ने खानों को वापिस किया है, अतः दोनों खानों के आवंटन को रद्द किया गया है।

लौह अयस्क खान:-

इस्पात कंपनियों के लिए दो लौह अयस्क खानें आरक्षित की गई थीं।

खान का नाम	इस्पात कंपनी	आरक्षण/आवंटन की तारीख
ठाकुरानी ब्लॉक ए	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	04.02.2004*
रमनदुर्ग फोरेस्ट रेंज ब्लॉक सं. 13/1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	20.02.2019

* इस आरक्षण के लिए ओडिशा सरकार ने दिनांक 24.02.2021 के आदेश के तहत एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 1957 की धारा 17क के अधीन सेल को 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) प्रदान किया।

(ङ) और (च): आरआईएनएल किसी कैप्टिव खदान के आवंटन के अभाव में बाजार मूल्य पर खुले बाजार से लौह अयस्क की खरीद करता है। आरआईएनएल को हुई हानि के अन्य कारणों में से एक कारक यह भी है। आरआईएनएल ने खान मंत्रालय, भारत सरकार से एमएमडीआर अधिनियम, 2015 की धारा 17क (2क) के अधीन लौह अयस्क डिपॉजिट के आरक्षण हेतु सिफारिश करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों अर्थात् ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से अनुरोध किया है। इस्पात मंत्रालय ने भी ओडिशा सरकार से आरआईएनएल के पक्ष में एक लौह अयस्क ब्लॉक के आरक्षण के लिए अनुरोध किया है।

****